CNR-No-UPFD-040-35570-2023

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र सं०-5750/23

आदेश

दिनांक : 02-08-2023

यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त रामू उर्फ राम मोहन उर्फ रामकुमार के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मु०अ०सं० 437/23 धारा-306 भा०द०सं० थाना उत्तर जिला-फिरोजाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त ने मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित कोई अपराध नहीं किया है झूठा फंसाया गया है, अभियुक्त जिला कारागार मे निरूद्ध है, कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर विरोध प्रस्तुत किया गया है

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना ।

अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, मामले की प्रकृति व अपराध की गम्भीरता को देखते हुये जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

फिरोजाबाद।